



कार्यालय नगर निगम, जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:- एफ-6 () आ.राज. (सा.प्र.)/ननिज/2013/३५५

दिनांक:- २४-९-१३

संशोधित सार्वजनिक विज्ञाप्ति क्रमांक 1 से 7

नगर निगम जयपुर क्षेत्र में निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किये गये विज्ञापन प्रदर्श पर विज्ञापन शुल्क की वसूली कार्य हेतु निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट हेतु ऑनलाइन संशोधित निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

कार्य का विवरण	सम्बन्धित अधिकारी का नाम
वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु जयपुर शहर में निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर विज्ञापन शुल्क वसूली कार्य।	आयुक्त (राजस्व) नगर निगम जयपुर
ऑन लाइन निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि	दिनांक 25.09.2013 से दिनांक 24.10.2013 अपराह्न 3.00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र शुल्क	1000 रुपये
अमानता राशि	(1) मानसरोवर जोन - राशि 7,02,960/- रुपये (2) सागानेर जोन - राशि 7,02,960/- रुपये (3) आमेर जोन - राशि 1,40,640/- रुपये (4) हवामहल जोन पूर्व राशि 89,400/- रुपये (5) सिविल लाईन जोन राशि 21,09,000/- रुपये (6) विधाधर नगर जोन राशि 21,09,000/- रुपये (7) मोती ढुंगरी जोन राशि 14,06,040/- रुपये
प्रोसेसिंग फीस	1000/- रु. (एम.डी. आरआईएसएल, जयपुर के नाम)
Financial Bid (Envelop-2 Opening)	Date 28.10.13 at 4.00 pm

निविदादाता को निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानता राशि, प्रोसेसिंग फीस भौतिक रूप से केश/डी.डी. के रूप में आयुक्त (राजस्व), नगर निगम जयपुर के नाम से दिनांक 25.10.2013 को अपराह्न 3.00 बजे तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा। उन्हीं निविदादाता की वित्तीय दरों को खोला जावेगा। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.govt.in> तथा www.jaipur.mc.org पर देखा जा सकता है। ईच्छुक निविदादाता को अपने डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

ई टेन्डरिंग में न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी जाती है किन्तु राजस्व की इस निविदा में उच्चतम दर को प्राथमिकता दी जायेगी।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :- अवश्यक कार्यवाही हेतु।

- जनसम्पर्क अधिकारी नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना को एक राष्ट्रीय एवं दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों के आगामी अंक में प्रकाशित करावे।
- प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को नगरनिगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए ई टेन्डरिंग की कार्यवाही सूचित करावे।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



(पिछले दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड जयपुर-15)

कार्यालय नगर निगम जयपुर

निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन की शुल्क वसूली के तेके की वर्ष 2013-14 की शर्तें

यह निविदा केवल निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन प्रदर्शन पर विज्ञापन शुल्क वसूली के लिए जयपुर शहर की चार दीवारी क्षेत्र को छोड़कर जोनवार 7 जोनों की पृथक-पृथक (हवामहल पश्चिम जोन को छोड़कर) (ई-प्रोक्यूरमेन्ट) द्वारा दिया जावेगा। यह निविदा 3 वित्तीय वर्ष (2013-14, 2014-15 एवं 2015-16) हेतु होगा। दरे निविदा 3 वित्तीय वर्ष 2013-14 (01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक) हेतु मार्गी जावेगी। वर्ष 2013-14 में निविदा स्वीकृत हो जाती है तो उस स्थिति में नगर निगम द्वारा वसूली गयी राशि का समायोजन वर्ष 2013-14 में निविदा द्वारा वसूली की बकाया 3/4 देय राशि में किया जावेगा।

अधिकृत संवेदक निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन प्रदर्शन पर विज्ञापन शुल्क ही वसूली कर सकेंगे जिसमें सिनेमा हॉल, पेट्रोल पम्प शामिल होंगे। नगर निगम जयपुर द्वारा नीलामी या अन्य प्रकार से दिए गए विज्ञापन अधिकारों के विज्ञापन शुल्क की वसूली का अधिकार संवेदक को नहीं होगा।

अधिकृत संवेदक निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन का जयपुर नगर निगम की विज्ञापन उपविधियों द्वारा निर्धारित दरों/शर्तों के अनुसार ही विज्ञापन शुल्क वसूल कर सकेंगा। विज्ञापन शुल्क वसूली की दरे व शर्तें नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipur.mca.org एवं <http://eproc.rajasthan.govt.in> पर उपलब्ध रहेंगी।

यह निविदा नगर निगम जयपुर विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुरुप होगा। संवेदक को इन उपविधियों के तहत नगर निगम जयपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।

राज्य सरकार या नगर निगम जयपुर द्वारा इस सबध्य में जारी संशोधित निर्देशों या संशोधित उपविधि की भी पालना संवेदक को करनी होगी। जिन विज्ञापनों पर विज्ञापन शुल्क वसूली पर वर्तमान में नीलामी से पूर्ण या तेका अवधि के दौरान न्यायालय का रखगान आदेश है उस स्थगन आदेश की पालना संवेदक द्वारा की जावेगी। तेका अवधि के दौरान स्थगन निरस्त होने पर संवेदक तेका अवधि की बकाया शुल्क वसूली कर सकेंगे। सम्पूर्ण तेका अवधि में स्थगन निरस्तर जारी रहता है तो स्थगन से प्रभावित वसूली में संवेदक का कोई कलेम नहीं होगा एवं निविदा अवधि पश्चात् स्थगन हटने पर शुल्क निगम वसूल करेगा।

प्रत्येक निविदाता नगर निगम जयपुर के द्वारा जोनवार निधारित की गई अमानत राशि अलग-अलग जमा कराकर निविदा में भाग ले सकेंगा। यह राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीकृत बैंक के डिमाण्ड फ्राप्ट/बैंकर्स चैक द्वारा जमा कराई जा सकती है। एक निविदाता एक से अधिक जोनों की निविदा में भाग ले सकेंगा। अमानत राशि निम्न तालिका अनुसार होगी:-

क्र.सं.	जोन का नाम	अमानता राशि (लाखों में)
1.	मानसरोवर जोन	702960/-
2.	सांगानेर जोन	702960/-
3.	आमेर जोन	140640/-
4.	हवामहल जोन पूर्व	89400/-
5.	सिविल लाइन जोन	2109000/-
6.	निधान नगर जोन	2109000/-
7.	मोतीझुंगरी जोन	1406040/-

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर राशि 1000 रु. के गुणक में होगी। उच्चतम दरों को स्वीकृत करने अथवा स्वीकृत नहीं करने के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम व मान्य होगा, राज्य सरकार की स्वीकृति परचात नगर निगम जयपुर द्वारा जारी कार्यादेश परचात ही निविदादाता फर्म द्वारा विज्ञापन शुल्क वसूली आरम्भ की जा सकेगी।

प्रथम, द्वितीय व तृतीय उच्चतम निविदादाता को छोड़कर शेष दरदाता की अमानता राशि निविदा खोलने के उपरान्त समिति के निर्णय के परचात लौटाई जावेगी। द्वितीय व तृतीय उच्चतम निविदादाता की अमानता राशि उच्चतम निविदादाता को विज्ञापन शुल्क वसूली की अधिकृति जारी करने के परचात लौटाई जावेगी। उच्चतम निविदादाता को अधिकृति पत्र राज्य सरकार द्वारा निविदा स्वीकृत करने के पत्र प्राप्त होने के परचात जारी किया जावेगा।

उच्चतम निविदादाता द्वारा अपनी उच्चतम निविदा की 1/4 राशि राज्य सरकार द्वारा उसकी निविदा अनुमोदित होने पर नगर निगम जयपुर द्वारा सूचित करने पर अगले कार्य दिवस में सायं 400 बत्ते तक ढीँडी / बैंकर्स बैंक द्वारा जमा करनी होगी।

सफल निविदादाता की अमानता राशि बताएँ धराहर राशि ठेका समाप्त तक निगम कोष में जमा रहेगी।

उच्चतम निविदादाता द्वारा निविदा राशि की 1/4 राशि जमा करने में असफल रहने पर जमा अमानता राशि अथवा अन्य जमा राशियां जप्त कर ली जावेगी एवं निविदादाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय उच्चतम निविदादाता को उसकी निविदा पर गुणवत्तुण के आधार पर राज्य सरकार की स्वीकृति परचात ठेका देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

पर्याप्त दर राशि प्राप्त नहीं होने अथवा अन्य कारणों से निविदा तिथि को आगे बढ़ाने का अथवा आगामी तिथि में जारी रखने का अधिकार नगर निगम जयपुर का होगा।

निविदा वर्ष 2013-14 के लिए जोनवार लगाई जावेगी। वर्ष 2013-14 की ठेका राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वर्ष 2014-15 की ठेका राशि निर्धारित होगी एवं वर्ष

वर्ष 2013-14 की 3/4 शेष राशि 3 समान किस्तों में (1/4 दि. 01.12.2013 तक, 1/4 दि. 01.01.2014 तक तथा 1/4 दि. 01.02.2014 तक) जमा करनी होगी किन्तु किस्तों के जमा करने के दिनांक में लाइसेंसिंग अथोरिटी द्वारा परिवर्तित किये जा सकेंगे। संवेदक को 3/4 राशि के बराबर की नगर निगम जयपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी निविदा स्वीकृति जारी होने के 15 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारंटी प्रस्तुत करते ही संवेदक को विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु अधिकृति (लाइसेंस) जारी

कर दी जावेगी। यह 3/4 राशि की बैंक गार्नी सम्बन्धित ठेका वर्ष की अंतिम किश्त जमा कराने के 15 दिवस बाद लैटा दी जावेगी निकटु संवेदक द्वारा इससे पूर्व 1/4 राशि

वर्ष 2014-15 की 1/4 ठेका राशि निविदादाता द्वारा दि. 01.03.2014 से पूर्व नकद अथवा डी.डी. द्वारा जमा करवाई जावेगी तथा शेष 3/4 निविदा मूल्य निविदादाता द्वारा तीन समान द्विमासिक किस्तों में (1/4 दि. 31.05.2014 तक 1/4 दि. 31.07.2014 तक तथा 1/4 दि. 30.09.2014 तक) जमा कराया जावेगा। उक्त अतिरिक्त जमा करायी गई बैंक गार्नी होगी किंतु इस 3/4 राशि की बैंक गार्नी में शर्त संख्या 14 में पूर्व में नगर निगम में प्रस्तुत 1/4 राशि की बैंक गार्नी समायोजित कर ली जावेगी। उक्त अतिरिक्त जमा करायी गई बैंक गार्नी निविदादाता को वर्ष 2014-15 के लिए पूर्ण राशि जमा होने पर वापिस कर दी जावेगी। इसके पश्चात् वर्ष 2014-15 हेतु विज्ञापन शुल्क वसूली की अधिकृति (लाइसेंस) निविदादाता को दी जावेगी। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 हेतु 1/4 ठेका राशि निविदादाता द्वारा 01.03.2014 से पूर्व नाव अथवा डी.डी. द्वारा जमा करवाई जावेगी तथा शेष 3/4 राशि निविदादाता द्वारा तीन समान द्विमासिक किस्तों में (1/4 दि. 31.05.2015 तक, 1/4 दि. 31.07.2015 तक तथा 1/4 दि. 30.09.2015 तक) जमा कराया जावेगा। तृतीय वर्ष हेतु बैंक गार्नी निविदादाता को वर्ष 2014-15 के लिए पूर्ण राशि जमा होने पर वापिस कर दी जावेगी। बैंक द्वारा जारी बैंक गार्नी ठेकेदार द्वारा 31 मार्च 2014 तक प्रस्तुत करनी होगी किंतु इस 3/4 राशि की बैंक गार्नी में शर्त संख्या 14 में पूर्व में नगर निगम में प्रस्तुत 1/4 राशि की बैंक गार्नी समायोजित कर ली जावेगी। उक्त अतिरिक्त जमा करायी गई बैंक गार्नी निविदादाता को वर्ष 2015-16 के लिए पूर्ण राशि जमा होने पर वापिस कर दी जावेगी। इसके पश्चात् वर्ष 2015-16 हेतु विज्ञापन शुल्क वसूली की अधिकृति (लाइसेंस) निविदादाता को दी जावेगी।

संवेदक को ठेका दिया जाते समय निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन प्रदर्श पर शुल्क वसूली नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां जयपुर नगर निगम (विज्ञापन)/(संसोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार अधिकृत दरों पर करनी होंगी परन्तु नगर निगम जयपुर या राज्य सरकार द्वारा ये दरें घटाई जाती हैं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। ऐसे परिवर्तन से इन दरों में जो वृद्धि होगी उसके बढ़े हुए अनुपात में निविदा राशि के अतिरिक्त नगर निगम जयपुर में निविदादाता को एकमुश्त जमा करानी होगी। यदि नगर निगम जयपुर या राज्य सरकार द्वारा ये दरें घटाई जाती हैं तो निविदा राशि में आनुपातिक कमी की जावेगी।

संवेदक को निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पाए गए विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों को हटाने का अधिकार नहीं होगा। विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापन पाए जाने पर संवेदक उनकी सूची तैयार कर प्रति पाइकूल जोन कार्यालय एवं आयुक्त (राजस्व) के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों की सूचना शून्य होने पर भी संवेदक द्वारा प्रति पाइकूल जोन आयुक्त एवं आयुक्त (राजस्व) को सूचना देना अनिवार्य होगी। जोन कार्यालय द्वारा उक्त सूची पर विज्ञापन बोर्डों को जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। संवेदक के अनुरोध पर संवेदक को सहयोग के लिए निगम की ओर से एक राजस्व निरीक्षक एवं दो पुलिसकर्मी उपलक्ष्य कराये जा सकेंगे।

जोन आयुक्त संवेदक द्वारा प्रस्तुत विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों की सूचना पर नियमानुसार कार्यवाही कर पालना आयुक्त (राजस्व) को आगामी सात दिवस में प्रस्तुत करेंगे। जोन कार्यालय अपने स्तर से भी विज्ञापन उपविधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। यदि जोन कार्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो निगम मुख्यालय की आयुक्त (सतर्कता) की टीम जिसमें एक राजस्व निरीक्षक जोन की टीम के साथ कार्यवाही करेंगे। निगम मुख्यालय का राजस्व स्टाफ एवं जोन कार्यालय द्वारा उड़न दर्तों का गठन कर विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों के विरुद्ध चालान करने की कार्यवाही की जावेगी। चालानों से प्राप्त आय/राशि नगर निगम जयपुर की होगी।

नगर निगम जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों की संवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

संवेदक द्वारा निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन से संबंधित शुल्क वसूली हेतु नियमानुसार निर्धारित रसीद बुकें एवं प्रपत्र अपने खर्च पर छपवाकर नगर निगम के जोन आयुक्त से प्रमाणित करवाने होंगे। इसके उपरान्त ही रसीदों एवं प्रपत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। संवेदक को इस शर्त के प्रत्येक बार उल्लंघन पर 5000/- रु. के अर्थदाता से दण्डित किया जावेगा। ठेका समाप्ति पर खाली रसीद बुकें एवं ठेके से संबंधित समस्त रिकॉर्ड जोन आयुक्त को जमा कराना होगा। जोन आयुक्त का दायित्व होगा कि निर्धारित रसीद बुकें एवं प्रपत्र प्राप्त होने पर 3 दिवस में उन्हे प्रमाणित करें। जोन आयुक्त प्रमाणित करने हेतु राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक या दोनों

को अधिकृत कर सकेगा। जोन आयुत्त द्वारा प्रमाणीकरण नहीं हो अधिकांशी (हार्डिंग) को प्रमाणित करने का निर्देश दिया जा सकेगा।

को अधिकृत कर सकेगा। जोन आयुक्त द्वारा प्रमाणीकरण नहीं करने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जोन आयुक्त का सपाईकरण प्राप्त कर आयुक्त (राजस्व), राजस्व अधिकारी (होड़िंग) को प्रमाणित करने का निर्देश दिया जा सकेगा।

किसी भी प्रकार की अशांतिकार ऐसे अशानाव व्यवहार करना चाहिए। संवेदक की जमा राशि जप्त कर रेका समाजिकी की कार्यवाही भी की जा सकेगी। संवेदक यदि चाहे तो स्थाय के खर्च पर अपने क्षेत्र में एक कार्यालय संचालित कर सकेगा जिसकी अनुमति नगर निगम जयपुर से प्राप्त करनी होगी। संवेदक वसूली हेतु स्थाय के खर्च पर अपने क्षेत्र में कैम्प भी आयोजित कर सकेगा जिसमें नगर निगम के कार्मिक आवश्यकतानुसार उपस्थित हो सकते हैं। संवेदक एवं उनके अधिकृत कर्मचारी द्वारा किसी भी नागरिक से अधिक वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जोन आयुक्त द्वारा इसकी जांच की जावेगी तथा अवैध वसूल की गई राशि नागरिक को और शिकायत माही पाई जाने पर वसूल की गई अवैध वसूली की दुगुनी राशि बतार दण्ड स्वरूप संवेदक से वसूल की जावेगी तथा अवैध वसूल की गई राशि नागरिक को और शिकायत माही पाई जाने पर वसूल की गई अवैध वसूली की दुगुनी राशि बतार दण्ड स्वरूप संवेदक से लौटानी होगी।

संवेदक अथवा उसके आधिकृत कमचारी द्वारा अवधि वसुला का 3 लाख रुपये, जोन आयुक्त प्रकरण तैयार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रेषित करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हासा अधिकतम 50,000/- रु. तक पेनल्टी संवेदक से वसुल करने का अधिकारी द्वारा ठेका समाप्ति की अपेक्षा की जा सकेगी।

समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अग्र काँड़ कर या सपाइय जाप, तुल्य लोक जनता से नहीं की जावेगी। ही करना होगा एवं नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे किसी कर/युल्क की वसूली संबंधक द्वारा जनता से नहीं की जावेगी।

सवेदक के विरुद्ध कोई भी शिकायत छान पर नाम संख्या 333-333-333 जिनकी जांच जोन आयुक्त ह्वारा 7 दिवस में की जावेगी। नागरिक अपनी शिकायत नगर निगम जयपुर के हैल्प लाइन नं. 0141-2743190 पर भी कार्यालय समय दर्ज करवाएं।

संवेदक के अधिकृत कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विज्ञापन का दर, मुख्य भाग का लूप राज्यपत्र में प्रकाशित होने के बाद विज्ञापन का अवलोकन करवाया जायगा। नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 की अधिसूचना की प्रति अपने साथ रखेंगे तथा करदाता द्वारा चाहने पर पुष्टि हेतु वसूलीकर्ता द्वारा अवलोकन करवाया जायगा।

जापा। निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर मुनवाई का अवसर देते हुए संवेदक द्वारा जमा कराइ गई ठेका राशि जप्त करते हुए संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कायबाहु का जावेगी जिसमें संवेदक का ठेका समाप्त भी शामिल है। इस संबंध में नगर निगम जयपुर के अधिकृत अधिकारी निरक्षण कर सकेंगे।

निवेदा / रेका से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में आवृत्तर ह्यारा इसका निस्सारण किया जा सकता। आवृत्तर प्रभुष शासन साध्य/ रासायन साध्य, एवं उपयोग साध्य विभिन्न चारों जन यद्यनां रथानीय उमायाए पर्यामें प्रकाशित करायी जाकर आम जनता के विभाग होंगे।

३ नगर निगम द्वारा स्वयं के खरे पर वसूली की दरों एवं अनुमादत नीवा से सबावा उपत्यका जा सूचित किया जावेगा।

संवेदक द्वारा संबोधित जोन कार्यालयों में सूचनाएं एवं आधिकृत संवेदक का नाम, पता व फोन नं. अंकित करके पठनीय रूप से प्रदर्श करने होंगे।

जिन फर्मों/निविदादाता के विरुद्ध नगर निगम जयपुर के किसी ठेके की कोई राशि बकाया चल रही है वे निविदादाता बकाया राशि नगर निगम जयपुर में जमा कराने के पश्चात् ही बोली में भाग ले सकेंगे। यदि किसी प्रकरण में न्यायालय में बात विचाराधीन हो तथा वसूली के विरुद्ध रखगन दिया गया हो तो न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की बकाया राशि इस शर्त के अधीन न्यायालय के निर्णय तक बकाया नहीं मानी जावेगी। नगर निगम जयपुर में पूर्व के किसी भी प्रकार के ठेके में ठेकेदार फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है तथा इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किया हो तो वे निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

संवेदक द्वारा विज्ञापन शुल्क वसूली के दोरान होने वाली किसी भी घटना के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा इसके लिए नगर निगम जयपुर का कोई दायित्व नहीं होगा। मौके पर किसी भी विवाद/झगड़ा होने पर संवेदक पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कानूनी कार्यवाही संवेदक द्वारा ही की जावेगी।

वालपेटिंग/विज्ञापन को पुताई करके मिटाने का अधिकार संवेदक का होगा। इस कार्य के लिए संवेदक को कोई भुगतान नगर निगम जयपुर द्वारा देय नहीं होगा। रामरस्त खर्चों संवेदक को वहन करना होगा।

शहर में त्यौहार/समारोह पर होने वाली सजावट के लिए किए जाने वाले विज्ञापन प्रदर्श को शुल्क वसूली से मुक्त रखने बाबत् नगर निगम जयपुर/राज्य सरकार के निर्देशों की पालना संवेदक को करनी होगी।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय श्रवणाधिकार के बल जयपुर शहर ही होगा। संवेदक द्वारा यदि विज्ञापन शुल्क राशि जमा करवाने हेतु सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को "बिल" प्रेषित किया जाता है व सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा संवेदक को संवेदक द्वारा यदि विज्ञापन बोर्ड का विज्ञापन शुल्क वसूली का लिखित आवेदन पत्र मय सम्बन्धित बोर्ड का राशि जमा नहीं करवायी जाती है तो सम्बन्धित संवेदक द्वारा सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति से कुकीं कार्यवाही रो विज्ञापन शुल्क वसूली का लिखित आवेदन पत्र मय सम्बन्धित बोर्ड का विवरण मय फर्टोज एवं तामिल हुए बिल की प्रति आयुक्त (राजस्व) को प्रस्तुत करनी होगी। आयुक्त (राजस्व) द्वारा उपयुक्तता की जांच करवाये जाने के बाद, नियमानुसार बिल, मांगपत्र जारी किये जाने के बाद कुकीं के आदेश दिये जायेंगे जिसकी कुकीं सम्बन्धित जोन आयुक्त द्वारा करायी जायेगी।

लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर